(22)

लोक सेवा प्रदायगी को ओर बेहतर बनाने हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझाव पर हुयी चर्चा के क्रम में दिये गये निदेशों के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांकः—22.05.2019 को पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांकः—22.05.2019 को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के साथ के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे दिनाक—02.05.2019 तथा 03.05.2019 को लोक सेवा प्रदायगी को और बेहतर बनाने हेतु इन विभागो से प्राप्त सुझावों के आलोक में दिये गये संबंधित निदेशो/बिन्दुओं के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई तथा निदेश दिये गये जो निम्नवत हैः—

विशेष कार्य पदाधिकारी
सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग पत्र पंजी 14 JUN 2019 संख्या 3965 बिहार, पटना
501
20 JUN 2019
विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग 18 JUN 2019 सं. 2978 बिहार पटना

क्र०सं०	अनुपालन का बिंदु	निदेश
1	Water ATM की स्थापना हेतु शीघ्र कार्य योजना बनायी जाए।	Water ATM लगाये जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तत्काल प्रथम चरण मे स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जिलों के सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगहों (नगर निगम क्षेत्र) मे आम जनता को Water ATM के माध्यम से जल निःशुल्क उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निकाय स्थान उपलब्ध करवायेंगे और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इन जगहों पर विभागीय निधि से Water ATM की स्थापना की जायेगी। O&M के संबध में परामर्श दिया गया कि तीनों विभाग समेकित प्रस्ताव तैयार कर लें, तद नुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाइ की जाय। (अनुपालनःलोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग)
2	पानी आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु कॉल सेंटर एवं आनलाईन आधारित व्यवस्था स्थापित की जाए। ऐसे शिकायतों का 24 घंटे के अंतर्गत निराकरण किया जाये । इस हेतु विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। शिकायतों के निराकरण हेतु प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक त्वरित निराकरण दल (QRT) गठित किया जाये तथा इनके कार्यो का अनुश्रवण जिला नियंत्रण कक्ष से किया जाये। शिकायत के निराकरण की प्रगति की सूचना शिकायतकर्ता को SMS द्वारा देने का प्रावधान किया जाए।	चापाकल मरम्मति हेतु लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जिले मे Functional चापाकल को ठीक रखने के लिए सर्वेक्षण कर इनकी सूची तैयार करें। इन चापाकलों को चालू रखने के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसीयो का चयन किया जाए जिनका दायित्व होगा कि इन चापाकलो के मरम्मती हेतु परिवाद प्राप्त होने के 24 घंटे के अंतर्गत एजेंसी द्वारा इसे चालू करवाया जायेगा। परिवाद प्राप्त करने हेतु कॉलसेंटर की स्थापना की जायेगी। निविदा प्रति चापाकल के आधार पर किया जाय तथा नियत समय सीमा मे कार्य निष्पादन से भुगतान को जोडा जाये। विभाग द्वारा पुरी व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो खराब पडे चापाकल हैं उसको विभाग अपनी व्यवस्था के तहत ठीक करने की कार्रवाई करे। उनके चालू हालात मे आ जाने पर एजेंसी को इनको भी चालू रखने हेतु एजेंसी को सौंपे जाने का भी प्रावधान किया जाए। (अनुपालनःलोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग)

(१०)

3	पुराने सड़कों की मरम्मति को प्राथमिकता दी जाये। सड़क मरम्मति कार्य को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत शामिल किये जाने के बिन्दू पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस क्रम में संसाधन हेतु व्यवस्था भी कर ली जाए।	पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग इसे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत शीघ्र शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। (अनुपालनःसामान्य प्रशासन विभाग)
4	जहाँ सड़क का चौडीकरण किया जाना है वहाँ यथा संभव सड़क के एक तरफ से चौडीकरण की नीति बनायी जाए। पहली बार बनने वाली सड़क (Green field project) के मामले में सड़क हेतु उपलब्ध जमीन के दोनों किनारे से सड़क बने और सड़क के मध्य में भविष्य मे चौडीकरण के लिए हरित क्षेत्र का प्रावधान किया जाये ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके।	विभाग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। यह परामर्श दिया गया है कि इस क्रम में होने वाले आर्थिक लाभ को दृष्टिगत रख नीति निर्धारण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। (अनुपालनः सभी संबंधित कार्य विभाग)
5	सड़क निर्माण एवं सड़क विस्तार हेतु Land Pooling की नीति तैयार की जाए ।	यथा शीघ्र नीति निर्धारण करा लिया जाए। (अनुपालनः पथ निर्माण विभाग)

बैठक की कार्यवाही सधन्यावाद समाप्त की गई।

ह0/–
मुख्य सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध– 06/19 1064 पटना, दिनांक– 12/06/2019

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

12.6.19
विशेष कार्य पदाधिकारी
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–1/ अ0प्र0–06–16/2019 6865 /पटना, दिनांकः 24.9.19

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह– सचिव, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

(उदय कान्त चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–1/ अ0प्र0–06–16/2019 6865 /पटना, दिनांकः 24.9.19

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

सरकार के अवर सचिव

Memo